न्यायालय–श्री अभिमन्यु कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, उदाकिशुनगंज।

बिहारीगंज थाना काण्ड संख्या–347/19

17-08-2020 दिनांक–18.11.19 से काराधीन अभियुक्त पिंटु कुमार की ओर से नवीन शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन इ–फाईलिंग के द्वारा दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान सहायक लोक पदाधिकारी को दी गई।

V.C के माध्यम से वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित कर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है। कोई अपराध नहीं किया है। ग्रामीण राजनिति के कारण झुठा फसाया गया है। किसी भी वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किये हैं और ना ही सुनवाई हेतू लंवित है। सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः अभियुक्त को जमानत पे छोड़ने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक लोक पदाधिकारी ने V.C के द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

उभय पक्षों को V.C के माध्यम से सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–399,402 एवं धारा–25(1–b)a/26/35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकि दर्ज है। जो अजमानतीय है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं अरोप की गंभीरता को देखते हुए काराधीन अभियुक्त पिंटु कुमार को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः काराधीन अभियुक्त पिंटु कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी
उदाकिशुनगंज।